संख्या- 20/2018/674/41-2018-01 (बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 16 मार्च, 2018**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदर्शिनी एवं प्रकाशन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7137/4-1-1/(बजट)/प्रचार/2017-18, दिनॉक 07-02-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रसार-19-विज्ञापन विक्री एवं विख्यापन मद में हो रही बचतों से पुनर्विनयोग के माध्यम से लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-प्रदर्शिनियों में भाग लेने पर व्यय-42-अन्य व्यय मद में रू0 20.00 लाख तथा लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रसार-18-प्रकाशन मद में रू0 20.00 लाख अर्थात कुल रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रसार-19-विज्ञापन विक्री एवं विख्यापन मद में हो रही बचतों से संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में अंकित विवरण के अनुसार लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-प्रदर्शिनियों में भाग लेने पर व्यय-42-अन्य व्यय मद में तथा लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रसार-18-प्रकाशन मद में पुनर्विनयोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए इसके नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र आर0ई0 संख्या-438/दस-2018 दिनांक 14 मार्च,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-20/2018/674(1)/41-2018-01 (बजट)/2017 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2017-18 (धनराशि रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)	लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3452-80-800-03-19	700	500	40	40	660	**3452-80-800-04-00-42**	20	40	20	20	40
						3452-80-800-03-00-18	50	700	20	20	70
योग	700	500	40	**40**	**660**	**योग**	**70**	**1100**	**40**	40	110

नोट-1- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष सम्भावित बचत से किया जाना है। उक्त मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय न हो पाने के कारण स्तम्भ-3 में बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने हेतु अपेक्षित धनराशि रू0 40.00 लाख की आवश्यकता होगी।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव
पर्यटन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-आरई0-438/दस-2018 दिनांक 14 मार्च,2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

राजेन्द्र राम
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या-20/2018/674(2)/41-2018 दिनांकः 16 मार्च, 2018

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in